बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

जल संसाधन विभाग में भू-अर्जन कोषांग के लिए सेवानिवृत अधिकारी की संविदा आधारित सेवा लेने हेतु भू-अर्जन विशेषज्ञ के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है:-

क्र0सं0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	योग्यता एवं अनुभव	मासिक मानदेय
01	भू-अर्जन विशेषज्ञ	01 (एक) (01-अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु)	भा0प्र0से / बि0प्र0से0 के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के सेवानिवृत अधिकारी	सेवानिवृत अधिकारी को सेवानिवृत के समय प्राप्त मूल वेतन तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता के योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उस पर सेवानिवृत की तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आएगा, वही राशि मानदेय / संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा।

नियुक्ति हेतु शर्तें :-

1. सेवा निवृत पदाधिकारी का चयन संविदा के आधार पर प्रथमतः 01 (एक) वर्ष के लिए होगा। जिसे आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आयु 64 (चौसठ) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. सेवानिवृत अधिकारी को सेवानिवृति के समय प्राप्त मूल वेतन तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता के योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उस पर सेवानिवृत की तिथि को देय मंहगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आएगा, वही राशि मानदेय / संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा।
4. सेवा निवृति और संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
5. वैसे पदाधिकारी जिन पर कोई निगरानी का मामला / विभागीय कार्यवाही / गंभीर आरोप विचाराधीन / दण्ड अध्यारोपित हो / आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जायेगी।
6. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
7. अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित पदाधिकारी का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होग।
8. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र पूरी तरह से भरकर अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, हॉर्डिंग रोड, पटना-800015 में **दिनांक**-07.05.25 के अपराह्न 5:00 बजे तक निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात जल संसाधन विभाग, मुख्यालय में प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा।
10. उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

08/04/25

(पवन कुमार सिन्हा)
अपर सचिव

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

(आवेदन का विहित प्रपत्र)

अपना पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

1.	पद का नाम (जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है)	
2.	विभाग/कार्यालय का नाम	
3.	अभ्यर्थी का नाम	
4.	पिता/पति का नाम	
5.	अभ्यर्थी की जन्म तिथि	
6.	सेवा निवृति की तिथि	
7.	श्रेणी (अ०जा०/अ०ज०जा०/पि०व० /अ०पि०व०/सामान्य)	
8.	राष्ट्रीयता	
9.	पदनाम (जिस पद से सेवा निवृत्त हुए हैं)।	
10.	विभाग/कार्यालय का नाम, (जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत हुए है)	
11.	विभाग/कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि	
12.	अभ्यर्थी के विरूद्व कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नही। (पूर्ण विवरण सहित)	
13.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वाथ्य प्रमाण–पत्र संलग्न है या नहीं	
14.	अभ्यर्थी की पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का विवरण	वर्ष अभ्युक्ति 1. 2. 3. 4. 5.
15.	फो0 नं0 मोबाईल नं० ईमेल	
16.	पता– स्थायी पता– पत्राचार का पता–	
17	पेंशन भुगतान आदेश (PPO)	

	की सं0 (प्रति संलग्न करें)	
	18. घोषणा मैं एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि इस आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही है। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जाय या चयन के पहले या बाद में अपात्रता का पता चल जाये तो विभाग मेरी उम्मीदवारी रद्द करने के साथ–साथ मेरे विरूद्व आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकता है।	

अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर (हिन्दी में)

अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर (अँग्रेजी में)

स्थान ....

दिनांक..............................